ढिंकिया संकल्प व अन्य प्रस्ताव

जन संघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन

(जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए लोकतंत्र की रक्षा में)

29-30 नवम्बर 2014

ढिंकिया, जगतसिंहपुर ओडिशा

ढिंकिया संकल्प

मौजूदा दौर देश के मजदूरों, किसानों और समस्त मेहनतकश जनता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है। भारतीय राजसत्ता बहुत ही मुखर रूप से तमाम पूंजीवादी कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर मेहनतकश जनता का शोषण-उत्पीड़न कर रही है। चाहे श्रम कानूनों में सुधार लाकर मजदूरों के हकों को छीनकर उन्हें मालिकों की झोली में डाल देना हो चाहे देशी-विदेशी उद्योगपतियों को नई-नई परियोजनाएं; प्रोजेक्ट लगाने के लिए सस्ते दामों पर आम जनता की जमीनों को बेचना हो। भारतीय सरकार किसी भी क्षेत्र में कम नहीं दिख रही हैं। आम जनता के वह सभी अधिकार जो उन्होंने लम्बे जनसंघर्षों के जरिए हासिल किए थे सरकार उन्हें एक-एक कर खत्म करती जा रही है। इसके साथ ही सरकार तमाम मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों को देशी-विदेशी कारपोरेट को सौंपती जा रही है। आज वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण के जरिए पूंजीवाद और पूंजीवादी ताकतों को ही लूट की छूट देने वाली नीतियां सबसे अधिक छाई हुई हैं।

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनिया बहुत ही तेजी से अपने पैर फैला रही हैं। वह देश के कोने-कोने में जाकर वहां निहित प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, यूरेनियम इत्यादि, पर अपना कब्जा जमा रही हैं। ज्यादातर खनन के क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाकों में पड़ते हैं। फिर वह चाहे झारखण्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या ओडिशा। इन आदिवासियों का अपने जंगल और जमीन पर सार्वभौमिक अधिकार है। यह जंगल और जमीन ही इनकी पहचान हैं, इनका वजूद हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह जंगल ही इनकी जीवन रेखा हैं। लेकिन उन्हें उनकी अपनी विरासत से वंचित कर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जल, जंगल, ज़मीन पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारें इन मामलों में कंपनियों का ही साथ दे रही हैं।

विकास परियोजनाओं, यातायात, बाजार, होटल-मॉल, हवाई अड्डों तथा इनके लिए कच्चा माल, ऊर्जा, पानी उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ों, नदियों खनिजों, वनों तथा जमीनों की आवश्यकता होती है। अतः जमीनों की

बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए उसके अधिग्रहण को सरल-सुगम बनाने हेतु विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर भू अधिग्रहण कानूनों में विभिन्न छूटें दी हैं। अलग-अलग समय में केन्द्रिय सरकारें भूमि अधिग्रहण संशोधन करने की कवायद में लगी रही हैं।

सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि नदियों पर भी अब आम जनता का हक खत्म किया जा रहा है। देश की बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध परियोजनाएं चल रही हैं या पूरी हो चुकी हैं। इन बांधों के बनने से नदी के आस-पास का बहुत बड़ा भू-भाग पानी में डूब जाता है और उस भू-भाग पर रहने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसी परियोजनाओं के चलते पिछले 60 बरस में करीब 7 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी न तो इन परिवारों के लिए उचित पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाता है और न ही विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा मिलता है। अपनी जड़ों से उज़ाड़े जाने का दंश जो इन क्षेत्रों की जनता झेलती है वह तो कभी भी सरकार के एजेंडे पर होता ही नहीं है। इसके अलावा इन बांधों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कभी भी स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। उसका उत्पादन तो बड़े-बड़े शहरों में रह रहे उच्च वर्ग व बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स की आवश्यकताओं के मद्देनजर किया जाता है। और जब भी जनता इन बांधों के विरोध में अपनी आवाज उठाती है तो उसे बहुत बुरी तरह से दबा दिया जाता है।

भूमि अधिग्रहण की ही भांति परमाणु ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं को लागू किए जाने के की जड़ में भारत-अमरीका करार निहित है। इस करार को संभव बनाने के लिए भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और 'यूरेनियम आपूर्ति समूह' (उन देशों का समूह जो परमाणु अप्रसार की शर्तों पर कच्चे माल-यूरेनियम का निर्यात करते हैं।) से छूट प्राप्त करने के लिए सारे वायदे करने पड़े। इन्हीं वायदों का नतीजा है कि भारत सरकार के लिए अपनी ऊर्जा नीति में परमाणु ऊर्जा को विशेष स्थान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि भारत-अमेरिका परमाणु करार के तहत भारत ने अपनी नागरिक और सामरिक परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एंजेसी के सुरक्षा प्रावधानों के तहत रखने पर सहमति जताई है जिसके

बदले में अमेरिका ने भारत को पूर्ण नागरिक परमाणु समर्थन देने का वायदा किया है। इस विस्तार से उन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक लॉबियों को मुनाफा होगा जो इन परियोजनाओं में उपकरण और अन्य ठेके मुहैय्या कराएंगी। इससे घोर अलोकतांत्रिक और अपारदर्शी ढंग से काम कर रहे परमाणु ऊर्जा विभाग की ताकत तथा प्रतिष्ठा और बढ़ेगी एवं केंद्रीकृत विकास की उस अवधारणा को बल मिलेगा जिसके तहत नवउदारवादी भूमंडलीकरण का एजेंडा आगे बढ़ रहा है।

इस सबसे हमारी असल प्राथमिकताएं पिछड़ जाएँगी जिनमें पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और बंटवारे के लिहाज से न्यायसंगत तथा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा-व्यवस्था का निर्माण करना शामिल है। परमाणु परियोजनाएं अत्यधिक महंगी हैं तथा स्थानीय खतरों, नियमन की कमियों एवं परमाणु तकनीक में निहित खतरों की वजह से विनाश का कारण बन सकती हैं।

इन हालात में जब आम जनता अपने हकों, अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को शासक वर्ग के द्वारा दबा दिया जाता है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध को हिंसात्मक प्रतिरोध का नाम देकर फर्जी गिरफ्तारियां की जाती हैं। लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता हैं। पुलिस थानों में उन्हें प्रताड़ित कर उनसे झूठे गुनाह कबूलवाए जाते हैं। यहां तक कि प्रतिरोध कर रही महिलाओं के साथ भी अमानवीय सुलूक किया जाता है। दरअसल इन सबके पीछे शासक वर्ग की एक स्पष्ट मंशा लोगों के दिलों में दहशत बिठाना होती है। जनता तक यह संदेश पहुंचाना कि किसी भी विरोध को कुचल दिया जाएगा जिससे जनता चुप-चाप बैठ जाए और सरकार तथा कारपोरेट के लिए अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना आसान हो जाए। किंतु इतिहास गवाह है कि जनता ने तमाम दमन उत्पीड़न के बावजूद अपने प्रति होने वाले अन्याय का पुरजोर विरोध किया है। ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत के इतिहास में बार-बार जनता ने शोषण व अन्याय के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष किया है, और वही आज भारत के कोने-कोने में मजदूर किसान भी कर रहे हैं।

केंद्र में नई सरकार के आने के बाद से ही स्थिति बद से बदतर ही हुई है। अभी तक जो भी हक अधिकार जनता को मिले हुए थे वह सभी एक-एक

कर छीने जा रहे हैं। जनता के पक्ष में बने सभी कानूनों में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और उन्हें कॉर्पोरेट्स के मुताबिक बदला जा रहा है। इसका विरोध कर रही जनता को रोकने तथा भरमाने के लिए मौजूदा सरकार सांप्रदायिकता का दांव लेकर आई है। पूंजीपति अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए शोषण की धार को तेज करता है जिसकी वजह से समाज एक गहरे संकट में फंसता चला जाता है और जनता के उत्पीड़न की दर तेज होती जाती है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जनता एकबद्ध न हो जाए और आज का Crony Capitalism (पूंजीवाद का वह स्वरूप जहां पर देश की शासन व्यवस्था कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है।) फलता-फूलता रहे इसके लिए जनता के संघर्षों को भरमाने और बहकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां समाज में सांप्रदायिकता व आतंकवाद का डर फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। इस परंपरा को मोदी सरकार ने बखूबी निभाया है। वैसे भी भाजपा का सांप्रदायिक राजनीति का इतिहास है और अब केंद्र में आ जाने के बाद वह अपने हिंदू राष्ट्र के ऐजेण्डे को पूरी तरह से लागू करने पर उतारू है। गौरतलब है कि सांप्रदायिकता का एजेण्डा भी उतना ही लागू किया जाता है जितना वह पूंजीपतियों के हित में हो।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को औपनिवेशक करार करते हुए तथा जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 पारित किया गया था। यद्यपि इस कानून में बहुत खामियां रही हैं फिर भी इसे प्रभावीढंग से लागू नहीं किया। तथापि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्री इसमें खतरनाक संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रस्तावित संशोधनों में दो सबसे बड़े संशोधन हैं प्रभावित परिवारों की सहमति तथा अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन। सहमति प्रावधान के तहत भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित परिवारों में कम से कम अस्सी प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित परिवारों में कम से कम 70 प्रतिशत की पूर्व सहमति जरूरी है। जबकि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सहमति प्रावधान की दोबारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)

परियोजनाओं में भूमि का मलिकाना हक सरकार के पास होता है। पब्लिक -प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं से सहमति प्रावधान हटाये जाने का प्रस्ताव है। वैकल्पिक तौर पर सहमति की जरूरत को कम करके 50 फीसदी तक लाया जा सकता है। दूसरी तरफ अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के प्रावधान के तहत जहां पहले प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में रह रहे समुदायों पर इस अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना अनिवार्य था वहीं प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन को इससे अलग रखा जाना चाहिए। यह अध्ययन बड़ी परियोजनाओं या पीपीपी परियोजनाओं तक सीमित होना चाहिए क्योंकि इससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यह दोनों ही प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन तथा पारदर्शिता के हक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ही संशोधनों के बाद एक बार फिर से बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण लागू हो जाएगा और उसके परिणामस्वरूप लोगों की, किसानों की तबाही और बदहाली और बढ़ेगी। बल्कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इन प्रस्तावित संशोधनों से आगे बढ़कर कारपोरेट पोषित नया भूमि अधिग्रहण कानून भी बना लिया है।

मोदी सरकार ने हाल ही में मजदूरों को तोहफे के नाम पर श्रम कानूनों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जो कि पूंजीपतियों को तोहफा और मजदूरों की पीठ में छुरा है। परिवर्तित होने वाले कानूनों में न्यूनतम वेतन, 8 घन्टे की ड्यूटी, ओवर टाइम, मजदूर महिलाओं से रात की पाली में काम करवाना, छुट्टियों में कटौती, ओवर टाइम के घंटे बढ़वाना और उसको कार्य काल में जोड़ना इत्यादि हैं। श्रमेव जयते के नाम पर हो रहे इन संशोधनों का सीधा फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को ही होगा। उन्हें इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के नाम पर रजिस्टर बनाने से मुक्ति दे दी गई है। अब उद्योगों पर किसी भी प्रकार की कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा अप्रैंटिस पर काम करने की अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। जिसमें तनख्वाह नहीं बल्कि वजीफा मिलेगा और उसे भी आधा सरकार वहन करेगी। 25 सितम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूंजीपतियों की एक भारी-भरकम महफिल में 'मेक इन इंडिया' का नारा

बुलन्द किया। यह नारा मूलतः विदेशी पूंजीपतियों को सम्बोधित था जिसका मतलब था कि वे भारत में पूंजी लगाने आयें। उन्हें हर तरह की सुविधा और छूट मिलेगी। जाहिर सी बात है विदेशी पूंजीपतियों को दिए जा रहे यह लुभावने अवसर इस देश के आम मेहनतकश-मजदूर के श्रम की लूट पर ही टिके होंगे।

ठीक इसी प्रकार मोदी सरकार वनाधिकार अधिनियम तथा पर्यावरणीय कानूनों में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन लाने की कोशिश में हैं। जो सीधे-सीधे आदिवासी तथा स्थानीय समुदायों के हितों के विरुद्ध है। अपने जल-जंगल-जमीन के लिए पहले से ही लड़ रहे इन आदिवासियों के लिए इन संशोधनों के बाद अपने अस्तित्व को बचाये रखना मुश्किल हो जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने खनन कंपनियों के लिए खनन की सभी कार्रवाईयों तथा पर्यावरणीय मंजूरी को ज्यादा तेज तथा सुगम बनाने के प्रावधान बनाए हैं। इसको वास्तविकता में लागू करते हुए जावेड़कर ने तीन महीने के समयकाल में करीब 240 परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा कोयला खनन के मामले में 16 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम क्षमता के खदानों के लिए पहले से मौजूद जनसुनवाई के प्रावधान को समाप्त करने की बात चल रही है जिससे जनता की अपनी जमीनों पर हकदारी सीधे-सीधे समाप्त हो जाएगी। यही नहीं वनाधिकार नियम के तहत किसी भी परियोजना की मंजूरी के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन संबंधित प्रावधान को समाप्त किए जाने की भी प्रक्रिया चल रही है। सिंचाई परियोजनाओं में पहले से मौजूद प्रावधान जिसके अनुसार 2,000 हेक्टेयर से कम जमीन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी उसकी सीमा को बढ़ाकर अब 10,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। केवल यही नहीं मोदी सरकार ने पर्यावरणीय कानूनों को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनबीडब्लूएल) का गठन किया जिसमें सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह से गायब हैं। यह वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम का इतना साफ उल्लंघन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली याचिका पर ही इस गठन पर स्टे लगा दिया। जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे वन्य जीवन बोर्ड का गठन किया जो पूर्व वन अधिकारियों तथा शासक दल के समर्थक और

नाकाबिल लोगों से भरा पड़ा है। जाहिर है यह बोर्ड केवल एक रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा।

इन प्राकृतिक संसाधनों की लूट और आम जनता के शोषण-उत्पीड़न के बीच प्रजातंत्र का चौथा खंबा कही जाने वाली मीडिया भी कार्यपालिका तथा विधायिका की भांति कॉर्पोरेट शक्तियों के समक्ष नतमस्तक है। देश के तमाम मीडिया संस्थान विभिन्न पूंजीपतियों की सेवा में लगे हुए हैं और जिसका परिणाम यह है कि हमारे देश में क्रिकेट से लेकर फिल्मों तक सबकुछ सुर्खियों में रहता है सिवाय आम जनता के दुख-तकलीफों तथा उनके द्वारा लड़े जा रहे जन संघर्षों के। बल्कि देखा जाए तो जन संघर्षों को जान-बूझकर मीडिया कवरेज नहीं देता है क्योंकि यदि ऐसी खबरें सुर्खियों में आ जाती हैं तो उनसे प्रेरित होकर देश के अन्य हिस्सों में भी विद्रोह के स्वर फूट पड़ने की संभावना रहती है। यही वजह है कि ओडिशा में 10 सालों से चल रहे पॉस्को प्रतिरोध संघर्ष से शेष भारत की अधिकांश मेहनतकश आबादी अनभिज्ञ है।

ऐसी परिस्थितियों में जब शासक वर्ग आम जनता और उसके संघर्षों पर एक सुनियोजित तथा सुगठित ढंग से आक्रामक हमले कर रहा है, हमारे लिए भी यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार करें। आज के समय की यह मांग है अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे जन आंदोलन एक व्यापक मोर्चे के तहत संगठित हों। अलग-अलग लड़कर अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाए हमें एक दूसरे के संघर्षों में सहभागिता करनी होगी। इससे न केवल हमारा अपना संघर्ष मजबूत होगा अपितु एक दूसरे के संघर्षों से जुड़कर हम एक व्यापक दायरे में पूरे देश में आम जनता के ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार कर सकेंगे। सही लड़ाई तभी आगे बढ़ पाएगी जब मजदूर-किसान-आदिवासी एक ही परचम के नीचे एकत्रित हो अपने खुद के संघर्ष को तीखा करने के साथ-साथ एक दूसरे के संघर्षों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करके जन आंदोलन खुद एक नई राजनैतिक प्रक्रिया शुरू कर सकेगें।

आज के दौर में जब शासक वर्ग की हमलावर नीतियां अपने चरम पर हैं ऐसे में उनसे मुकाबला करने का एक ही रास्ता है और वह है जमीनी स्तर पर अपने संघर्षों को मजबूत करना। हम जितनी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर अपने संघर्ष को तीखा करेंगे उतनी ही सशक्तता के साथ हम इन नीतियों का मुकाबला कर सकेंगे।

इन संघर्षों को हमको आगे बढ़ाते हुए अपनी रणनीतियों और रणकौशलों दोनों का ही ध्यान रखना होगा और बदलते वक्त के साथ-साथ हमें अपने रणकौशलों में भी परिवर्तन करते रहना होगा। जिस तरह से सरकारें और पूंजीपति अपनी सुविधा के लिए कानूनों को तोड़-मरोड़ रहे हैं ऐसे में हमें इस बात पर एक राय बनानी होगी कि हम अपने आंदोलनों को किस सीमा तक लेकर जाएंगे। ऐसे समय में जब हम पर होने वाले हमले कानूनों के दायरे से बाहर जा रहे हैं या फिर कानूनों में कारपोरेट के अनुसार परिवर्तन लाए जा रहे हैं, हम केवल संसदीय रास्ते से किसी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संसद में जनता के योग्य प्रतिनिधियों को भेजकर हम इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं कि वह तात्कालिक तौर पर जनता को कुछ फायदा पहुंचा लें किंतु पूंजीवाद की गति और उसके तंत्र को देखते हुए हम संसद के द्वारा जनता के लिए एक बराबरी आधारित समाज बनाने का सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संसदीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जनांदोलनों में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं पर काम करें।

हमें अपने संघर्षों को सफल मुकाम तक ले जाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे हम अपनी शर्तों पर सरकार से बात-चीत कर सकें। अब तक हमने सरकार के एजेण्डों पर बात की है अब हमें अपने आंदोलनों को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां सरकार हमारे एजेण्डे पर हमसे हमारी शर्तों पर बात-चीत करे, लेकिन इस बात को याद रखते हुए कि हमें हिंसक तरीका नहीं अपनाना है। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए जनवादी तरीके से संघर्ष करना हैं।

हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है और इतिहास गवाह है कि जनता की एकता के आगे बड़ी-बड़ी राजशाहियां ध्वस्त हुई हैं अतः हमें भी अपनी

एकता को बनाए रखते हुए अंहिसात्मक और संसद के परे जाकर अन्य तरीके अपनाने होंगे। दुनिया भर में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के खिलाफ लगभग सभी देशों में ऐसे जनांदोलन चल रहें हैं, जो कि मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं।

हमें अपने आंदोलनों को ब्राह्मणवाद, पितृसत्तावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों के विरुद्ध संघर्ष पर भी केंद्रित करना है। जिससे की न केवल हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें बल्कि दूरगामी तौर पर एक समता मूलक समाज की स्थापना भी कर सकें।

हम यहां एकत्रित विभिन्न जनांदोलनों के लोग यदि यहां से उठने के बाद सुनियोजित एकबद्ध तरीके से एक व्यापक मोर्चे के साथ जुड़कर अपने आंदोलन को और तीखा रूप देने के साथ-साथ एक दूसरे के आंदोलनों में पूरी शिरकत तथा सहयोग कर सके तो यह सम्मेलन निश्चित ही अपने सही अर्थों में सफल माना जाएगा।

इंकलाब जिंदाबाद

लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो

बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत................

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

ओडिशा के ढिंकिया गाँव में जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा के आधार पर प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करते हुए और सबकी सहमति से कार्यक्रम के आगे की रणनीति के मद्देनज़र निम्न प्रस्ताव पारित किया गया-

1. पोस्को-विरोधी जनांदोलन के प्रति समर्थन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का निरंकुश दोहन और लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के परस्पर विरोधी तमाम औद्योगिक परियोजनाओं के प्रति विरोध दर्ज किया गया और संघर्षरत आंदोलनों के प्रति एकजुटता दिखाई गयी. साथ ही खंडाधार में खनन के विरोध में जनांदोलन के प्रति भी सभी जनसंगठनों/ जनांदोलनों द्वारा समर्थन और एकजुटता दिखाई गयी.
2. पूंजीवाद को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट को लाभ पहुँचाने के लिए श्रम, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया गया और उसके विरोध में आंदोलनों का निर्णय किया गया.
3. अब तक हमने सरकार के मुद्दों पर बात की है अब हमें अपने आंदोलनों को उस मुकाम पर पहुँचाना होगा जहाँ सरकार हमारे मुद्दों पर हमसे हमारी शर्तों पर बात-चीत करे.
4. साम्प्रदायिकता और संकेंद्रित पूंजीवाद (crony capitalism) के अंत:सबंधों को चुनौती देने और साम्प्रदायिकता के आधार पर बंटवारे का प्रतिरोध करने का निर्णय किया गया.
5. सांगठनिक प्रक्रियाओं में ब्राम्हणवाद, पितृसत्तावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसे मुद्दों के विरोध में साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर बल और समता-न्याय की संकल्पना को रेखांकित किया गया.

6. सत्ता का विकेन्द्रीकरण और ग्राम सभा के सर्वोच्च अधिकारों की पैरवी की बात का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया.

7. संसदीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जनांदोलनों में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं पर काम करने की ज़रूरत पर बल दिया गया.

8. सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों पर लगे झूठे और मनगढंत अभियोगों के प्रति साथ मिलकर संघर्ष और कानूनी कवायद करने की ज़रूरत को महसूस किया गया. साथ ही बंदी अधिकारों, पुलिसिया दमन और बढ़ते सैन्यकरण के मुद्दों को प्रस्ताव में शामिल किया गया.

9. संगठन की व्यूह-रचना को आगे बढ़ाने और स्थानीय संघर्षों को मज़बूत करने के साथ सांगठनिक स्वरूप पर ठोस समझ बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया. साथ ही छोटे आंदोलनों को मज़बूत करने और नयी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की तैयारी की ज़रूरत को महसूस किया गया.

पोस्को विरोधी आंदोलन के समर्थन में तथा गैर-कानूनी खदानों की सी बी आई जांच की मांग पर प्रस्ताव

मौजूदा समय में पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के नेतृत्व में विगत दस सालों से ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में ढिंकिया चारादेस इलाके में जारी जनसंघर्ष कारपोरेट लूट के खिलाफ लड़ाई का एक ज्वलंत प्रतीक है. उसी ढिंकिया की संग्रामी भूमि पर 29-30 नवम्बर 2014 तक आयोजित जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन इस संघर्ष की जुझारू जनता को पोस्को प्रायोजित सरकारी दमन तथा साम दाम दंड भेद के हथकंडों के बावजूद लड़ाई को जारी रखने के लिए सलाम करता है. अब यह लड़ाई न सिर्फ प्लांट क्षेत्र की है, बल्कि पोस्को के लिए सुन्दरगढ़ जिले के खंडाधार पर्वत से लौह अयस्क खुदाई के लिए अनुमति देने के बाद उस क्षेत्र में खंडाधार सुरक्षा समिति के नेतृत्व में स्थानीय आदिवासियों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. सबसे ज़्यादा विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने का नारा देकर केंद्र व राज्य सरकारो के द्वारा पोस्को प्रोजेक्ट की स्थापना के खिलाफ जारी इस ऐतिहासिक संघर्ष को ये सम्मेलन पूर्ण समर्थन का ऐलान करता है. ढिंकिया इलाके में जारी पोस्को प्लांट विरोधी संघर्ष एवं खंडाधार पर्वत क्षेत्र में शुरू खदान विरोधी आंदोलन की आवाज़ को भुवनेश्वर और दिल्ली के स्तर पर बुलंद करने का संकल्प ये सम्मेलन लेता है. इस संघर्ष की जीत के लिए देश भर के संघर्षशील साथी अपने संकल्प को दोहराते हैं.

पोस्को प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए जिस तरह पूर्व सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कंपनी दबाव बनाती थी उसी तरह मौजूदा प्रधानमंत्री के कोरिया दौरे के दौरान पोस्को कंपनी द्वारा दबाव बनाया गया. भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह ऐलान करना कि पोस्को प्रोजेक्ट के लिए सारे अवरोध खत्म किये जाएंगे, हमारी सरकार कैसे विदेशी कंपनियों के लिए झुक रही है यह दर्शाता है. हमारे मुल्क की संप्रभुता को समाप्त करने

जैसे इस सरकारी आत्मसमर्पण की यह राष्ट्रीय सम्मेलन घोर निंदा करता है.

विगत दो दशकों से उदारीकरण के नाम पर देश के खनन क्षेत्रों में देशी-विदेशी कंपनियों को इजाज़त देने के बाद देश भर के जनांदोलन इन गलत नीतियों के परिणाम स्वरुप प्राकृतिक संपदाओं की बेलगाम लूट का सवाल उठाते रहे हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त शाह आयोग के द्वारा ओडिशा के अलावा दूसरे राज्यों में जारी खनन की व्यापक जांच के बाद इन्हें गैर-कानूनी पुष्ट किया तथा सी बी आई की जांच की सिफारिश भी की. इसी तरह सेन्ट्रल एमपावर्ड कमिटी (सी ई सी) ने भी गैर-कानूनी खदान का पुष्टिकरण करते हुए ठोस कारवाई करने का सुझाव दिया है. लेकिन चुनाव के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाने वाली भाजपा की केंद्र सरकार शाह कमीशन की स्पष्ट सिफारिश के बावजूद सी बी आई जांच को लेकर चुप्पी साधे हुए है. जन संघर्षों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन यह मांग करता है कि देश के विभिन्न राज्यों में हुई गैर-कानूनी खदानों की सी बी आई द्वारा जांच की जाए और गुनाहगार कंपनियों तथा इसके लिए जिम्मेवार नेताओं–अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

सम्मेलन आयोजक समिति की ओर से प्रकाशित
ए-124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली.110016

सीमित वितरण हेतु

जनहित में

सम्मेलन आयोजक समिति की ओर से प्रकाशित

ए-124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-16

द्वारा प्रकाशित

दिसंबर, 2014